

Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.****Arbitration Case No.- 173/2020****Mrs. Ranjana DeviPetitioner.****Versus****The State of Bihar & Ors.....Opposite Parties.**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	05.6.2026	आवेदिका अनुपस्थित हैं। आवेदिका विगत 14(चौदह) तिथियों से सनुवाई में अनुपस्थित है। विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका द्वारा वाद में अभिरुचि नहीं ली जा रही है एवं उनकी ओर से दाखिल जवाब के आलोक में यह आर्बिट्रेशन वाद खारिज करने योग्य है। दिनांक-25.11.2025 को पारित आदेश के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक-25.11.2025 को पारित आदेश के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। लेखापित एवं संशोधित।  आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।   आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	